(2)

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

भरोसी पुत्र बजारी जाति मीना निवासी भीलापाड़ा, तहसील नादौती जिला करौली

— प्रार्थी

बनाम

1. छीतर पुत्र कजोडया
2. श्रीफल पुत्र छोट्या
3. पृथ्वीराज पुत्र जयलाल
4. धर्मसिंह पुत्र बृजलाल
5. हरिप्रसाद पुत्र मनफूल

सभी जातियान मीना निवासीयान भीलापाड़ा मीना निवासीयान भीलापाड़ा तहसील नादौती जिला करौली

6. उपजिला कलक्टर, नादौती

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र–पत्रावली उनवानी भरोसी बनाम छीतर दावा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय उप जिला कलक्टर नादौती से अन्यत्र स्थानांतरण बाबत्।

निर्णय

दिनांक 23.06.2021

यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र, वकील प्रार्थी द्वारा अंतर्गत धारा 235 आर.टी.एक्ट पेश किया गया है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती में दावा संख्या 89/2020 व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 90/2020 उनवानी भरोसी बनाम छीतर वगै. विचाराधीन है जिनमें वादी को न्याय की उम्मीद नहीं होने की आशंका के कारण अन्य सक्षम न्यायालय में अंतरित किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय टिप्पणी तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया गया है कि प्रार्थी का मुकदमा उनवानी भरोसी बनाम छीतर माननीय अदालत उपखण्ड अधिकारी नादौती में दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, दुरुस्ती नक्शा व स्थायी निषेधाज्ञा तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विचाराधीन है जिसमें स्थगन आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया है। दिनांक 24.11.2020 को घोषणा का दावा पेश किया गया था। सेटिलमेण्ट के समय 27 एयर जमीन कम कर दी गई थी। उपरोक्त प्रार्थना पत्र टी.आई व दावे में कायम मुकामान पेश किये बिना ही मिलीभगत करके गैरसायलान प्रार्थना पत्र टी.आई. को खारिज करवा कर प्रार्थी की कृषि भूमि में होकर जबरदस्ती से सड़क का निर्माण करवाना चाह रहे हैं जिसके लिये गैरसायलान द्वारा उपखण्ड अधिकारी नादौती से पत्रावलियों में जनरल तारीख दिनांक 03.02.2021 से 03.03.2021 के बजाय दावे व टी.आई. में 10.02.2021 प्रार्थी को बिना सुने ही सीधे ही लगवा दी जबकि कोर्ट की समस्त पत्रावलियों में जनरल तारीख दिनांक 03.02.21 से 03.03.21 लगायी गयी है। विवादित भूमि खसरा नंबर 717, 718, 723, 724, 725, 725/1333, 860, 862, 863, 227, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 257, 266, 267, 905 बाके ग्राम भीलापाड़ा पर स्थगन आदेश है जिसमें मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति के आदेश हैं जो घोषणा खातेदारी, दुरुस्ती नक्शा व स्थायी निषेधाज्ञा का दावा है। स्थगन आदेश के बाबजूद दिनांक 07.02.2021 को मौके पर गैरसायलान द्वारा टोड़ाभीम विधायक पी.आर. मीना, उपखण्ड अधिकारी नादौती, कांग्रेस पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को प्रार्थी के खेतों पर बुलवा लिया और टोड़ाभीम विधायक पी.आर. मीना ने उपखण्ड अधिकारी नादौती से कहा कि इस जमीन पर जो स्टे है उसे 10.02.2021 को खारिज कर देना और रोड को जल्दी से निकलवाना है और टोड़ाभीम विधायक पी.आर. मीना ने उपखण्ड अधिकारी नादौती से कहा कि प्रार्थी के पुत्र मुनेश व सहीराम के खिलाफ एक एफ.आई.आर. करवाओ, धमकी दी। हमने मोहनपुरा के लिये रोड

जिला कलक्टर
करौली

निकालने हेतु दोनों साइड से 10–10 फुट जमीन लेने के लिए निवेदन किया लेकिन वे केवल हमारी तरफ से ही ले रहे हैं। मौरम पहले से ही डली हुई है। इस प्रकार स्टे के बावजूद एस. डी.ओ. प्रार्थी को बिना सुने ही प्रार्थना पत्र टी.आई. में मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति होने के बावजूद मिलीभगत करके बिना सुने ही पत्रावली को डिसमिस करना चाह रहे हैं। इसलिये उक्त प्रकरणों को स्थानांतरण किये जाने हेतु, ताकि उचित न्याय हो सके, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता हुई है। अंत में प्रार्थना पत्र को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित फरमाये जाने का कथन किया है।

वकील अप्रार्थीगण द्वारा जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया गया है कि प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 1 में अंकित उनवानी मुकदमा भरोसी बनाम छीतर वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन होने का तथ्य स्वीकार है। प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 2 में अंकित तथ्य कपोल कल्पित एवं झूंठे होने से स्वीकार नहीं हैं। प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 3 में अंकित तथ्य नितांत झूंठे व काल्पनिक होने से स्वीकार नहीं हैं। प्रार्थीवादी द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में अंकित तथ्यों के आधार पर ही पूर्व में इसी वादी एवं इसी भूमि के संदर्भ में एक दावा व उसके साथ प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अधीनस्थ न्यायालय में उनवानी भरोसी बनाम सहायक अभियंता नादौती के विरुद्ध किया था जिसमें पेश अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र वादी का निरस्त किया जाकर पूर्व में दिया हुआ अंतरिम आदेश अपखंडित कर दिया गया था तथा उसकी अपील में भी प्रार्थीवादी भरोसी को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली थी। जब प्रार्थी को पूर्व में पेश दावे व प्रार्थना पत्र में कोई अनुतोष प्राप्त नहीं हो सका तो उसने माननीय अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह करते हुए छलपूर्वक उसी भूमि के संदर्भ में पुनः एक पक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली जो एक फर्जकारी की श्रेणी में आता है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 3(ए) में स्पष्ट प्रावधान हैं कि प्रथम तो एकपक्षीय अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय को पारित ही नहीं करनी चाहिये। अगर आपातकालीन परिस्थितियों के कारण एकपक्षीय आदेश दिया जाना आवश्यक कारणों को माननीय न्यायालय द्वारा पत्रावली पर अभिलिखित किया जाना वांछनीय है। पत्रावली पर ऐसे कोई तथ्य उपलब्ध नहीं हैं तथा न्यायालय पर विधि द्वारा यह दायित्व अधिरोपित किया गया है कि एकपक्षीय अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरुद्ध जारी की है तो उसे तीस दिन के अंदर सुनवाई किया जाकर गुणदोष पर निस्तारित किया जाना माननीय न्यायालय को आवश्यक प्रावधान हैं। चूंकि अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 24.11.2020 को जारी की गई थी जिसका जवाब अप्रार्थीगण द्वारा नोटिस जारी होने के प्रथम तारीख पेशी दिनांक 12.01.2021 को माननीय न्यायालय में पेश कर दिया गया था तथा पत्रावली बहस प्रार्थना पत्र निषेधाज्ञा दिनांक 03.02.2021 नियत थी जिस पर माननीय अधीनस्थ द्वारा उपरोक्त विधिक बाध्यताओं के अध्यधीन बहस पत्रावलियों को आगामी पेशी 10.02.2021 नियत तिथि एवं अन्य गैरजरूरी पत्रावलियों में अभिभाषक संघ के आग्रह पर दिनांक 03.03.2021 नियत की गई थी जो न्याय संगत थी। आम सड़क प्रस्तुत वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व वर्षों पूर्व ही महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत पंचायत द्वज्ञारा निर्माण करा दिया गया था जो विगत 40 वर्षों से अधिक समय से ग्राम मोहनपुरा की तरफ आने जाने का एक मात्र सार्वजनिक रास्ता था जिस पर सहायक अभियंता द्वारा डामरीकरण भी करवा दिया गया था। वादी प्रार्थी येन केन प्रकारेण सार्वजनिक सड़क के निर्माण में रूकावट पैदा करना चाहता था उसका अप्रार्थीगण से कोई संबंध व सरोकार नही है। प्रार्थीगण के विरुद्ध पेश दावा भूप्रबंध में कथित अनियमितताओं से भूप्रबंध कार्य समाप्त होने के चालीस वर्षों से कोई ऐतराज नहीं था और ना ही किसी प्रकार की आपत्ति की। अब केवल अपने अहम की संतुष्टि के लिये सार्वजनिक सड़क को रुकवाना चाहता है जबकि विधिक उपधारणा है कि अगर सार्वजनिक हित को व्यक्तिगत हित के मुकाबले प्राथमिकता दी जानी चाहिये। अप्रार्थीगण की पीठासीन अधिकारी में कोई रुचि नहीं है केवल प्रकरण का न्यायपूर्ण शीघ्र निस्तारण चाहते हैं जिसका प्रत्येक पक्षकार को विधिक अधिकार प्राप्त है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी को खारिज फरमाने का कथन किया है।

जिला कलक्टर
करौली

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि सैटिलमेण्ट के समय उनकी भूमि में से 0.27 हैक्टेयर भूमि कर दिये जाने से दावा अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है जबकि वकील अप्रार्थी का कथन है कि उक्त विवाद सैटिलमेण्ट विभाग से संबंधित है एवं उक्त विवाद से अप्रार्थीगण का कोई संबंध नहीं है। दोनों ही पक्ष यह स्वीकार करते हैं कि ग्राम मोहनपुरा को जाने वाले रास्ते में सड़क निर्माण किया जा रहा है जिस पर पूर्व से मौरम डली हुई है। सड़क का निर्माण होना, एक सार्वजनिक कार्य है जिसमें सार्वजनिक हित निहित होते हैं। वकील प्रार्थी का कथन है कि दोनों ओर से 10–10 फीट भूमि सड़क हेतु ली जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 03.02.2021 से 10.02.2021 तारीख नियत की जबकि अन्य सभी प्रकरणों में 03.03.2021 तारीख नियत की गई। वकील अप्रार्थी का कथन है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को एकपक्षीय अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है जिसका निस्तारण 30 दिवस में किया जाना कानूनन आवश्यक है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रथम तारीख पेशी पर ही जवाब पेश कर दिया था। इसलिये एकपक्षीय अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को शीघ्र सुना जाकर उसका निस्तारण किया जाना आवश्यक होने के कारण पीठासीन अधिकारी द्वारा नजदीक की तारीख पेशी दी गई थी। वकील अप्रार्थीगण का यह तर्क है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी इसी भूमि के संबंध में सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की कोशिश की थी जो खारिज हुई थी। उभय पक्षकारान की बहस व तर्कों से यह विदित होता है कि प्रार्थी स्वयं को प्राप्त एकपक्षीय अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को देरीना करना चाहता है एवं इसी उद्देश्य से यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा का जल्द निस्तारण नहीं चाहता है जबकि एकपक्षीय अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा का शीघ्र निस्तारण किया जाना कानूनन आवश्यक है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती में विचाराधीन जैर प्रार्थना पत्र वादों में प्रार्थीगण को एकपक्षीय अंतरिम स्थगन आदेश मिला हुआ है। उक्त स्थगन भी वर्तमान पीठासीन अधिकारी द्वारा ही प्रार्थीगण के हक में दिनांक 24.11.2020 को जारी किया हुआ है। इससे यह विदित होता है कि यदि पीठासीन अधिकारी की अप्रार्थीगण में रुचि होती तो वह प्रार्थीगण के हक में अप्रार्थीगण के विरुद्ध उक्त स्थगन आदेश जारी नहीं करता। इससे यह प्रार्थना पत्र निराधार, बेबुनियाद व झूंठा प्रतीत होता है जिसे खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुंतकिली को खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2021 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
करौली